रूचि की अभिव्यक्ति

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में केंटीन एवं फोटोकॉपी, सायबर शॉप संचालन हेतु निविदा

निविदा क्रमांक– 1311　　　　　　　　　　　　　　　खरसिया दिनांक 19/12/2024

निर्धारित तिथि

निविदा आवेदन का शुल्क	रू. 500 (केंटिन हेतु, वापसी योग्य नही) रू. 700 (फोटोकॉपी, सायबर शॉप हेतु, वापसी योग्य नही)
अमानत राशि	रू. 10000 हजार प्रत्येक पृथक–पृथक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 09.01.2025　　　　समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 09.01.2025　　　　समय 4:00 बजे सायं तक

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया वार्ड क्र.18 ठाकुरदिया खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.

ई–मेल–: **mggovtcollegekhs@gmail.com**

वेबसाइट–: **mgcollegekharsia.in**

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महात्मा गॉधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Email.mggovtcollegekhs@gmail.com Website: www.mgcollegekharsia.in

निविदा क्रमांक 1311 /जभास/2024 खरसिया दिनांक 19/12/2024

रूचि की अभिव्यक्ति

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में केंटीन एवं फोटोकॉपी, सायबर शॉप संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में केंटीन एवं फोटोकॉपी, सायबर शॉप (पृथक–पृथक) के संचालन हेतु होटल, खानपान व्यवसाय, केटरिंग सेवा/ फोटोकॉपी, ऑनलाईन सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले योग्य फर्मो/एजेंसी से निर्धारित प्रारूप में फर्म के अधिकृत लेटर पैड अथवा अधिकृत स्टाम्प युक्त एवं हस्ताक्षर सहित सादे पेपर में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरें हुए समस्त वांछित सुसंगत दस्तावेजों सहित मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। मान्यता प्राप्त स्वसहायता समूह/एन.जी.ओ. भी आवेदन कर सकते है। निविदा शुल्क, अमानत राशि, निविदा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है–ः

निविदा आवेदन का शुल्क	रू. 500 (केंटिन हेतु, वापसी योग्य नही) रू. 700(फोटोकॉपी, सायबर शॉप हेतु, वापसी योग्य नही)
अमानत राशि	रू. 10000 हजार (प्रत्येक पृथक–पृथक डी.डी. द्वारा)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 09.01.2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 09.01.2025 समय 4:00 बजे सायं तक

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह 03:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला–रायगढ़ छ.ग. में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगा। निविदा संबंधी अन्य विस्तृत जानकारी, नियम, शर्ते एवं निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के **वेबसाइट–ः** **mgcollegekharsia.in** से download कर सकते है। निविदा की नियम शर्तो या अन्य संशोधन होने पर समाचार पत्रो में विज्ञापन जारी नही किया जायेगा। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।

(डॉ.राकेश तिवारी)
प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.
खरसिया,दिनांक 19/12/2024

पृ.क. 1312 / जभास /2024

प्रतिलिपिः–

1. महा.परिसर के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

2. कि. शास. महाविद्यालय, रायगढ़ (चिन्हित महा.) जिला–रायगढ़ को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
7. महाविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
8. कार्यालय प्रति

(डॉ.राकेश तिवारी)
प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.

केंटीन संचालन हेतु निविदा के नियम एवं शर्ते

महाविद्यालय परिसर स्थित कैंटिन संचालन करने के लिए निम्नांकित शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य हैं :–

1. शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र/ छात्राओं, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुको के जलपान हेतु निम्नानुसार निर्धारित दरो तथा मात्रा पर खाद्य सामग्री प्रदाय करने के लिए केंटीन संचालन हेतु अनुबंध पर आबंटन के लिए निर्धारित न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव रखने वाले केंटीन संचालक फर्म/ एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में इस निविदा सूचना में दी गई शर्तो के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है।

केन्टीन संचालन हेतु भावपत्र में अंकित करने हेतु, विकय की जाने वाली सामग्रीयों की सूची एवं प्रस्तावित दरें :–

क	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/तादात	कीमत अधिकतम	रिमार्क
1	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.	05	
2	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.	10	
3	आलुगुंडा	प्रति नग 75 ग्राम	7	
4	समोसा	प्रति नग 75 ग्राम	7	
5	कचौड़ी	प्रति नग 75 ग्राम	7	
6	बड़ा	प्रति प्लेट 04 नग	20	
7	इडली/सांभर	2 नग, प्रति नग 60 ग्राम	20	
8	पोहा	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
9	भजिया	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
10	जलेबी	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
11	मुंगोड़ी	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
12	बुन्दी का लडडू	प्रति नग 60 ग्राम	10	
13	गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम	10	
14	रसगुल्ला	प्रति नग 80 ग्राम	10	
15	लस्सी	प्रति ग्लास 200 मि.ली.	30	
16	छोले भटुरे	एक प्लेट, दो भटूरे एवं छोला	40	
17	डोसा सांभर एवं चटनी	प्रति नग 200 ग्राम	50	
18	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम	20	
19	सांभर बड़ा	02 नग बड़ा एवं सांभर 60 ग्राम	30	
20	समोसा सहित मटर	एक प्लेट 150 ग्राम	30	
21	पानी बाटल	क्रमशः1 लीटर, 500 मि.ली., 200 मि.ली.	MRP दर पर	
22	कोल्डड्रिंक (साफ्ट)		MRP दर पर	
23	पैकेट युक्त खाद्य सामग्री		MRP दर पर	
24	अन्य		—	

2. सफल निविदाकार केंटीन संचालक कंडिका 01 में वर्णित खाद्य तथा पेय पदार्थो के अलावा अन्यखाद्य तथा पेय पदार्थ प्राचार्य से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर बाजार भाव पर विक्रय कर सकेगा।
3. केंटीन संचालन महाविद्यालय परिसर खरसिया में की जायेगी। सेवा प्रदाता केंटीन संचालक द्वारा स्यवं के व्यय पर केंटीन संचालन हेतु आवश्यक स्टॉफ (नाबालिग नही) सहित सभी सामग्री cutlery,crockery,Equipment,Restaurant Furniture इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।
4. **न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव :–**

(1) निविदाकार अपने आवेदन के साथ अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी,पुत्र अथवा पिता के नाम पर फूड लाइसेंस नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नही होने का नोटराइज्ड शपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तो एवं नियमो के पालन करने का नोटराइज्ड शपथपत्र भी आवश्यक रुप से संलग्न करेंगे। उपरोक्तानुसार सफल निविदाकार को लाइसेंस आदि अनुबंध उपरांत अधिकतम 03 महीने में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

(3) निविदा शुल्क एवं अमानत राशि :– निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) प्राचार्य के इंडियन ओव्हरसीज बैंक शाखा खरसिया खाता क्र. 293501000009999 में जमा कर जमा स्लिप संलग्न करना होगा एवं अमानत राशि 10000/– (दस हजार रु. मात्र)। FDR/DD के रूप में प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के नाम पर जमा करना होगा जिस पर वापसी में किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

5. **आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क**– आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क 44400 रू. (चवालीस हजार चार सौ रू. मात्र) एकमुश्त देय होगा। निविदाएं अधिकतम अनुज्ञप्ति शुल्क के लिए आमंत्रित की गइ है आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क से कम राशि की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अधिकतम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क उपयुक्त तर्क संगत पाये जाने पर ही निविदा विचारणीय होगी यदि दो या दो से अधिक फर्मो से प्राप्त दर समान हो तो अनुभव के आधार पर अधिक अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। दर भविष्य में परिवर्तित हो सकता है एवं कैंटिन में लगे मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। प्रतिमाह बिल जमा करने की छायाप्रति केंटीन संचालन समिति के पास जमा करना होगा, लगातार 02 माह की अवधि तक किराया का भुगतान नही करने पर 500/– प्रतिमाह की दर से अधिभार जमा करना होगा।
6. निविदा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय में वांछित समस्त दस्तावेजो सहित बंद लिफाफे में कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला–रायगढ़ छ.ग.में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगा।
7. **अनुज्ञप्ति अवधिः**–उपर्युक्त अनुबंध, अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष की अवधि का होगा किन्तु महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। यदि निविदादाता द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो का पालन करते हुए केंटीनका संचालन सफलतापूर्वक किया जाना पाया जाये तो अनुज्ञप्ति की अवधि वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ आगामी 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। अवधि समाप्त होने पर सेवा प्रदाता फर्म महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर अपनी सामग्री एवं संपति संबंधित स्थान से स्वयं के व्यय पर हटा लेगा एवं प्राधिकारी को संपति का कब्जा वापस सौंपेगा।
8. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य/ केंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. के पास सुरक्षित है।
9. **निविदा तैयार करने एवं जमा करनें का तरीकाः–**

निविदा 02 लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी

(क) लिफाफा –ए : इस लिफाफे में निविदाकार के पंजीयन प्रमाण पत्र, अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी,पुत्र अथवा पिता के नाम पर फूड लाइसेंस नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है,उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नही होने का नोटराइज्ड शपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तो एवं नियमो के पालन करने का नोटराइज्ड शपथपत्र भी आवश्यक रुप से संलग्न करेंगे। लिफाफा बंद कर उसके उपर निविदा का नाम –कैंटिन संचालन हेतु निविदा–लिफाफा–ए तथा निचे निविदा दाता का नाम, पता लिखा जाना आवश्यक होगा।

(ख) लिफाफा –बी :इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरो में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती। दरें अंको एवं शब्दो दोनो मे भरी जायें

यदि कोई कांटछांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रतिहस्ताक्षर करें अंको एवं शब्दो या कांटछांटमें विरोधाभास हो तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

(ग) उपरोक्त दोनो लिफाफे अर्थात **लिफाफा –ए एवं लिफाफा –बी** एक बड़े लिफाफे में बंदकर नाम पता एवं मोबाईल नं. लिखकर निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला–रायगढ़ छ.ग.में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगा।

10. **अनुज्ञप्ति की शर्तेः–**

1. अनुज्ञप्ति के निष्पादन के उपरांत संपति का पजेसन जहा है जैसी है के आधार पर सेवा प्रदाता समूह को दिया जायेगा।
2. सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आबंटित संपति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए ही किया जायेगा। संपति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक हो।
3. महाविद्यालय परिसर एवं कैंटिन में किसी भी नशीले/मादक पदार्थ का विक्रय एवं सेवन पूर्णतः वर्जित है।
4. कैंटिन में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना होगा एवं सफाई प्रतिदिन फिनायल से करनी होगी।
5. कैंटिन में छात्र–छात्राओं को साफ (ताजा) पानी पिलाने की जिम्मेदारी कैंटिन संचालक की होगी। खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो।खाद्य सामग्री का मूल्य बाजार दर से कम हो वर्ष भर मूल्य में परिवर्तन नही किया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक प्राचार्य/ केंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन परिवर्धन नही कर सकेगा।
7. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा भवन और परिसर में स्थापित प्लम्बिंग, इलेक्ट्रेफिकेशन,सिविल कंट्रक्शन आदि को नुकसान नही पहुचॉया जायेगा। अनुबंध अवधि कर समाप्ति के उपरांत सभी संपति को पूर्व स्तर पर सुधार कर और भवन की पेंटिंग कलरवासिंग कराकर प्राचार्य को सौंपेगा।
8. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सेवाप्रदाता केंटीन संचालक अपनी सामग्री एवं संपति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटाकर संपति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नही होगी।
9. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक अनुबंध पर दी गई अचल संपति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान, लीज़ या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण या अंतरण नही करेगा।
10. कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जोसेवाप्रदाता केंटीन संचालक को देना/ करना अपेक्षित है समुचित रूप से दी गई अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह सेवाप्रदाता को संपति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गई है तथा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गई है डाक के माध्यम से पहुचाई गई मानी जायेगी।
11. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा का सूचनापटल में निध्रारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।
12. केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।
13. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान ना होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा और आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अधीन संपादित होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र खरसिया रायगढ़ होगा।
15. कैंटिन में बाहरी व्यक्ति, संबंधितों व बाहरी छात्र–छात्राओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
16. कैंटिन का समय महाविद्यालय के समय सारणी अनुसार शुरू हो कर प्रातः 09:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शाम 5:30 बजे के बाद कैंटिन पूर्णतः बंद रखी जावे, कैंटिन खुली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी
17. महाविद्यालय स्टॉफ एवं छात्राओं से मृदुल व्यवहार किया जाये।
18. किसी भी अवकाश के दिन बिना कार्यालयीन आदेश के आप कैंटिन नही खोलेंगे।
19. कैंटीन प्रत्येक कार्य दिवस पर खुली रहेगी।

20. किसी भी परिस्थिति में सुबह 07.30 बजे से शाम 05.30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति कैंटिन में नही रहेगा। तथा कैंटिन में कार्यरत व्यक्ति (पुरुष/महिला) महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक कहीं भी घूमते हुऐ नजर नही आना चाहिये।
21. दुकान हेतु आवश्यक आपरेटर, फर्नीचर, आंतरिक बिजली व्यवस्था स्वयं करनी होगी
22. किसी भी प्रकार कि मौखिक या लिखित शिकायत पर प्राचार्य/ केंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. को तत्काल आपकी सेवायॅ समाप्त करने का अधिकार होगा। सत्र के बीच में आपके द्वारा कैंटिन बंद होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. निरुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण नियत स्थान पर करना होगा।
24. महाविद्यालय कैंटिन से किसी भी दशा में कोई भी खाद्य सामग्री महाविद्यालय से बाहर सप्लाई नही की जा सकेगी और न ही कैंटिन भवन में कोई विज्ञापन किया जा सकेगा।
25. कैंटिन संचालक द्वारा कैंटिन में केवल व्यवसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग कर सकेगा।
26. उपरोक्त सभी शर्तो को पालन करने का शपथ पत्र नोटिराईज्ड करा कर 03 दिनो के भीतर आपको कैंटिन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
27. आवेदन/भावपत्र स्वीकृत होने पर 50 रु. (पचास रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा अनुबंध के बावजुद शर्तो का पालन न होने पर कैंटीन संचालन कि अनुमति निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में प्राचार्य/ केंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. का निर्णय अंतिम होगा।
28. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मान्य है।
29. केंटीन संचालन हेतु भवन की साईज 29.3X13.8 फीट(केंटीन कीचन क्षेत्र) एवं 37.2X11.00 फीट (बैठक क्षेत्र) है।
30. भुगतान सभी माध्यम (ऑनलाईन/नगद) से लेना अनिवार्य होगा।
31. खाद्य सामग्री पार्सल का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
32. केंटीन में आवश्यक समस्त सुरक्षा उपायो की जिम्मेदारी सफल निविदाकार संचालक की स्वयं की होगी। किसी भी दुर्घटना के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

(डॉ.राकेश तिवारी)
प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.

निविदा भावपत्र

वित्तीय दर

महाविद्यालय परिसर स्थित केंटीन संचालन हेतु एकमुश्त वार्षिक दर

मै...आत्मज...आयु.........

पता...

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.परिसर के केंटीन संचालन हेतु आमंत्रित निविदा सूचना के तहत अपनी निविदा (वित्तीय दर) निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग. परिसर के केंटीन संचालन (आरक्षित वार्षिक लाईसेंस शुल्क रू .44400 / – चवालीस हजार चार सौ मात्र	प्रस्तुत निविदा	
	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (अंको में)	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (शब्दो में)

1. मैने निविदा की सभी शर्ते पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त मे निर्धारित अमानत राशि लिफाफा–ए में जमा कर दी गई है।
2. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मै निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र मे दी गई राशि जमा करूंगा तथा अनुबंध का निष्पादन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन नही किया गया तो प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग. को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देवें।

निविदाकार का हस्ताक्षरः–...............

नामः–...

पताः–...

....

मो. नं...

दिनांकः–..

फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

महाविद्यालय परिसर स्थित फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन करने के लिए निम्नांकित शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य हैं :–

1. शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र/ छात्राओं, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुको के फोटोकापी, विभिन्न ऑनलाईन फार्म भरने एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु निम्नानुसार निर्धारित दरो पर अनुबंध पर आबंटन के लिए निर्धारित न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव रखने वाले फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक फर्म/ एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में इस निविदा सूचना में दी गई शर्तो के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है।

फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु भावपत्र में अंकित करने हेतु, छात्र/ छात्राओ के सुविधा अनुसार विभिन्न साईज में फोटोकॉपी, रिड्युज एवं इन्लार्ज कॉपी एवं ऑनलाईन कार्य की सूची एवं प्रस्तावित दरें :–

1. ए4 — 2.00 रू. प्रतिकॉपी
2. सामान्य एफ–एस — 2.00 रू. प्रतिकॉपी
3. ए4/एफ–एस रिड्यूज कापी — 2.00 रू. प्रतिकॉपी
4. ए3 बड़ी साईज — 5.00 रू. प्रतिकॉपी
5. पी.डी.एफ/कंप्युटर से प्रिंट होने पर प्रति कापी 5.00 रू. प्रतिकॉपी
6. ऑनलाईन फार्म भरने का सॉयबर शुल्क – 60/– प्रति फार्म (परीक्षा फार्म,प्रवेश फार्म, नामांकन एवं छात्रवृत्ति आवेदन फार्मएवं प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि)।

2. सफल निविदाकार **फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप** संचालक कंडिका 01 में वर्णित दर अनुसार कार्य संपादित करेगा। प्राचार्य/ संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर बाजार भाव पर शेंष अन्य संबंधित कार्य कर सकेगा।
3. फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन महाविद्यालय परिसर खरसिया में की जायेगी। सेवा प्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु आवश्यक स्टॉफ (नाबालिग नही) सहित सभी सामग्री फोटोकापियर्स मशीन कम्प्युटर प्रिंटर इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। जिसके सम्पूर्ण सुरक्षा की जवाबदेही स्वयं की होगी।
4. **न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव :–**

   (1) निविदाकार अपने आवेदन के साथ अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी,पुत्र अथवा पिता के नाम पर नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नही होने का नोटराइज्ड शपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तो एवं नियमो के पालन करने का नोटराइज्ड शपथपत्र भी आवश्यक रुप से संलग्न करेंगे। उपरोक्तानुसार सफल निविदाकार को लाइसेंस आदि अनुबंध उपरांत अधिकतम 03 महीने में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

   (2) निविदा शुल्क एवं अमानत राशि :– निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ रू. 700.00 (वापसी योग्य नही) प्राचार्य के इंडियन ओव्हरसीज बैंक शाखा खरसिया खाता क्र. 293501000009999 में जमा कर जमा स्लिप संलग्न करना होगा एवं अमानत राशि 10000/– (दस हजार रु. मात्र)। FDR/DD के रूप में प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के नाम पर जमा करना होगा जिस पर वापसी में किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
5. **आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क–** आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क 36000 रू. (छत्तीस हजार रू. मात्र) एकमुश्त देय होगा। निविदाएं अधिकतम अनुज्ञप्ति शुल्क के लिए आमंत्रित की गई है आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क से कम राशि की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अधिकतम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क उपयुक्त तर्क संगत पाये जाने पर ही निविदा विचारणीय होगी यदि दो या दो से अधिक फर्मो से प्राप्त दर समान हो तो अनुभव के आधार पर अधिक अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। दर भविष्य में परिवर्तित हो सकता है एवं भवन में लगे मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। प्रतिमाह

बिल जमा करने की छायाप्रति संचालन समिति के पास जमा करना होगा, लगातार 02 माह की अवधि तक किराया का भुगतान नही करने पर 500/– प्रतिमाह की दर से अधिभार जमा करना होगा।

6. निविदा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय में वांछित समस्त दस्तावेजो सहित बंद लिफाफे में कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला–रायगढ़ छ.ग.में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगा।

7. **अनुज्ञप्ति अवधि:**–उपर्युक्त अनुबंध, अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष की अवधि का होगा किन्तु महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। यदि निविदादाता द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो का पालन करते हुए फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप का संचालन सफलतापूर्वक किया जाना पाया जाये तो अनुज्ञप्ति की अवधि वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ आगामी 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। अवधि समाप्त होने पर सेवा प्रदाता फर्म महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर अपनी सामग्री एवं संपति संबंधित स्थान से स्वयं के व्यय पर हटा लेगा एवं प्राधिकारी को संपति का कब्जा वापस सौंपेगा।

8. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य/ संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. के पास सुरक्षित है।

9. **निविदा तैयार करने एवं जमा करनें का तरीका:**–

निविदा 02 लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी

(क) लिफाफा –ए : इस लिफाफे में निविदाकार के पंजीयन प्रमाण पत्र, अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी,पुत्र अथवा पिता के नाम पर नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है,उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नही होने का नोटराइज्ड शपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तो एवं नियमो के पालन करने का नोटराइज्ड शपथपत्र भी आवश्यक रुप से संलग्न करेंगे। लिफाफा बंद कर उसके उपर निविदा का नाम – फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु निविदा–लिफाफा–ए तथा नीचे निविदादाता का नाम, पता लिखा जाना आवश्यक होगा।

(ख) लिफाफा –बी :इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरो में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती। दरें अंको एवं शब्दो दोनो मे भरी जायें यदि कोई कांटछांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रतिहस्ताक्षर करें अंको एवं शब्दो या कांटछांटमें विरोधाभास हो तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

(ग) उपरोक्त दोनो लिफाफे अर्थात **लिफाफा –ए एवं लिफाफा –बी** एक बड़े लिफाफे में बंदकर नाम पता एवं मोबाईल नं. लिखकर निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला–रायगढ़ छ.ग.में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगा।

10. **अनुज्ञप्ति की शर्तें:**–

1. अनुज्ञप्ति के निष्पादन के उपरांत संपति का पजेसन जहा है जैसी है के आधार पर सेवा प्रदाता समूह को दिया जायेगा।
2. सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आबंटित संपति का उपयोग फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप व्यवसाय के लिए ही किया जायेगा। संपति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक हो।
3. सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक प्राचार्य/संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन परिवर्धन नही कर सकेगा।
4. सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक द्वारा भवन और परिसर में स्थापित प्लम्बिंग, इलेक्ट्रेफिकेशन,सिविल कंट्रक्शन आदि को नुकसान नही पहुचॉया जायेगा। अनुबंध अवधि कर समाप्ति के उपरांत सभी संपति को पूर्व स्तर पर सुधार कर और भवन की पेंटिंग कलरवासिंग कराकर प्राचार्य को सौंपेगा।

5. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक अपनी सामग्री एवं संपति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटाकर संपति का कब्जा वापस सौपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नही होगी।

6. सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक अनुबंध पर दी गई अचल संपति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान, लीज़ या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण या अंतरण नही करेगा।

7. कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक को देना/करना अपेक्षित है समुचित रूप से दी गई अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह सेवाप्रदाता को संपति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गई है तथा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गई है डाक के माध्यम से पहुचाई गई मानी जायेगी।

8. सेवाप्रदाता फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालक को विभिन्न सेवा कार्यो की निर्धारित दर एवं मात्रा का सूचनापटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

9. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान ना होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा और आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अधीन संपादित होगा।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र खरसिया रायगढ़ होगा।

11. फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप का समय महाविद्यालय के समय सारणी अनुसार शुरू हो कर प्रातः 09:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शाम 5:30 बजे के बाद फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप पूर्णतः बंद रखी जावे, फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप खुली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी

12. महाविद्यालय स्टॉफ एवं छात्राओं से मृदुल व्यवहार किया जाये।

13. किसी भी अवकाश के दिन बिना कार्यालयीन आदेश के आप फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप नही खोलेंगे।

14. फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप प्रत्येक कार्य दिवस पर खुली रहेगी।

15. किसी भी परिस्थिति में सुबह 09.30 बजे से शाम 05.30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप में नही रहेगा। तथा फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप में कार्यरत व्यक्ति (पुरुष/महिला) महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक कहीं भी घूमते हुये नजर नही आना चाहिये।

16. दुकान हेतु आवश्यक आपरेटर, फर्नीचर, आंतरिक बिजली व्यवस्था स्वयं करनी होगी

17. किसी भी प्रकार कि मौखिक या लिखित शिकायत पर प्राचार्य/ संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. को तत्काल आपकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा। सत्र के बीच में आपके द्वारा शॉप बंद होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जावेगी।

18. निरुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण नियत स्थान पर करना होगा।

19. उपरोक्त सभी शर्तो को पालन करने का शपथ पत्र नोटिराईज्ड करा कर 03 दिनो के भीतर आपको कैंटिन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

20. आवेदन/भावपत्र स्वीकृत होने पर 50 रु. (पचास रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा अनुबंध के बावजुद शर्तो का पालन न होने पर शॉप संचालन कि अनुमति निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में प्राचार्य/ संचालन समिति एवं आई.क्यु.ए.सी. का निर्णय अंतिम होगा।

21. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मान्य है।

22. फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु भवन की साईज 11.3X14.1 फीट है।

23. भुगतान सभी माध्यम (ऑनलाईन/नगद) से लेना अनिवार्य होगा।

24. शॉप में आवश्यक समस्त सुरक्षा उपायो की जिम्मेदारी सफल निविदाकार संचालक की स्वयं होगी। किसी भी दुर्घटना के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

Tiwari

(डॉ.राकेश तिवारी)
प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.

निविदा भावपत्र

वित्तीय दर

महाविद्यालय परिसर स्थित फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु एकमुश्त वार्षिक दर

मै...आत्मज...आयु..........

पता..

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग.परिसर के फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन हेतु आमंत्रित निविदा सूचना के तहत अपनी निविदा (वित्तीय दर) निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग. परिसर के फोटोकॉपियर्स एवं सायबरशॉप संचालन (आरक्षित वार्षिक लाईसेंस शुल्क रू. 36000/– छत्तीस हजार मात्र	प्रस्तुत निविदा	
	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (अंको में)	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (शब्दो में)

11. मैने निविदा की सभी शर्ते पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त मे निर्धारित अमानत राशि लिफाफा–ए में जमा कर दी गई है।
12. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मै निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र मे दी गई राशि जमा करूंगा तथा अनुबंध का निष्पादन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन नही किया गया तो प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला–रायगढ़ छ.ग. को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देवें।

निविदाकार का हस्ताक्षरः–...............

नामः–..

पताः–..

....

मो. नं ....

दिनांकः–......................................